

(1) सिविल अपील क्रमांक: 26 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 26 / 14
संस्थापन दिनांक 13 / 11 / 2003

1. बालाराम आयु 41 साल
2. रमेशचन्द्र पुत्रगण आशाराम आयु 36 साल
निवासी ग्राम बाखौली तहसील गोहद जिला भिण्ड-----अपीलार्थी/वादी

ब न म

1. मुस. सुखाबाई 61 साल,
पत्नी पातीराम निवासी ग्राम जलालपुरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड
2. म.प्र. शासन कलेक्टर भिण्ड
3. सूर्यनाथ सिंह पुत्र चिम्मन सिंहफौत

वारिस-

(क) संजय आयु 50 साल
(ख) धीरज आयु 45 साल
निवासीगण काशी नरेश का मोहल्ला
व मकान ग्वालियरप्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण एक पक्षीय ।

न्यायालय-श्री शचीन्द्र श्रीवास्तव, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला
भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-181 ए/1998 ई.दी. में पारित निर्णय
दिनांक 22/9/2003 से उत्पन्न सिविल अपील

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 21, अगस्त 2014 को घोषित किया गया)

1. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील अंतर्गत धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 181 ए/1998 में प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 22/9/2003 से विद्युद्ब होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी /वादी के वाद को निरस्त कर दिया है ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि ग्राम बाखौली के सर्वे नंबर

483 का बंदोबस्त के पश्चात नया सर्वे नंबर 212 निर्मित किया गया है।

3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादीगण के पिता आशाराम के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि ग्राम बाखौली में सर्वे नंबर 483 थी। 1971-72 में चकबंदी संपन्न हुई जिसमें सर्वे नंबर 483 का नवीन सर्वे नंबर 212 रकवा 0.533 कायम किया गया तथा चकबंदी में ग्राम बाखौली में कुल 291 नंबर कायम किए गये, किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश 212 के स्थान पर 292 नंबर कायम किया तथा 912 रकवा 533 के स्थान पर 292 रकवा 533 हैक्टेयर कायम कर दिया। तथा सर्वे नंबर 212 गलत रूप से शासकीय भूमि के रूप में अंकित कर दिया गया, जिसके पश्चात उक्त सर्वे नंबर में से मिन रकवा 146 का पट्टा प्रति.क्र.-1 के पक्ष में किया गया तथा शेष भूमि को चरनोई के रूप में अंकित किया गया।
4. वादीगण द्वारा उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए एस.डी.ओ. गोहद के न्यायालय में आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जिसपर एस.डी.ओ. गोहद ने नायब तहसीलदार को जांच कर राजस्व अभिलेख को दुरुस्त करने हेतु आदेशित किया। किन्तु नायब तहसीलदार द्वारा उक्त त्रुटि को सुधारा नहीं गया। प्रति.क्र.-1 को किए गये पट्टे के आधार पर प्रतिवादी क्र.-1 ने वादीगण को दि.-20/8/95 को विवादित भूमि पर खेती ना करने देने की धमकी दी। इसके पश्चात प्रति.क्र.-1 ने विवादित भूमि का विक्रय 15/4/96 को प्रतिवादी सूर्यनाथ के पक्ष में कर दिया। प्रतिवादी सूर्यनाथ ने दि.-25/12/96 को वादीगण को धौंस दी कि वे विवादित भूमि पर वादीगण की खड़ी फसल को जबरदस्ती काटेंगे। जिससे वादीगण/अपीलार्थीगण के स्वत्व आधिपत्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। जिसकी रक्षार्थ वादी ने दावा पेश किया।
5. वादीगण के पास सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि नहीं है तथा सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कार्यवाही कहीं संचालित नहीं रही, ना ही विचाराधीन है। अतः वादपत्र पेशकर विवादित भूमि के समान भाग के वादीगण भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किए जाने तथा वादीगण का नाम राजस्व कागजात में अंकित कराये जाने एवं प्रतिवादीगण का नाम निरस्त किए जाने की सहायता चाहे जाने बाबत निवेदन किया है एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित भूमि पर वादीगण के कब्जा काशत में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप करने से रोकने की स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया।
6. प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण ने अपने जवाब में वादी के वाद आधारों का विरोध करते हुए यह व्यक्त किया है कि शासकीय भूमि का पट्टा प्रतिवादी क्र.-1 के पक्ष में दस्यु पीडित महिला होने के नाते शासन द्वारा किया गया। पट्टा होने के बाद प्रतिवादी क्र.-1 विवादित भूमि पर

काबिज होकर निरंतर खेती कर रही है । एस.डी.ओ. गोहद ने नायब तहसीलदार के समक्ष नियमानुसार दुरुस्त किए जाने हेतु भेजा गया, जिसमें प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया, साक्षी उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण खारिज किया गया । वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा पुनः तहसीलदार के समक्ष एक अन्य आवेदनपत्र राजस्व अभिलेख की दुरुस्ती हेतु पेश किया, जो प्रकरण क्र.-1/93-94 अ-6 पर संचालित किया गया । उक्त प्रकरण में भी वादीगण अनुपस्थित रहे, जिस कारण से उक्त प्रकरण भी खारिज किया गया । उक्त आदेशों को अपास्त किए जाने हेतु कभी कोई कार्यवाही वरिष्ठ न्यायालय में नहीं की गयी ।

7. प्रतिवादीगण की ओर से अतिरिक्त आपत्ति पेश करते हुए अभिवचन किया गया है कि सन 1972-73 में चकबंदी हुई जिसमें भूमि क्र.-212 रकवा .533 को शासकीय भूमि घोषित किया गया था । उस समय चकबंदी के समय कोई आपत्ति नहीं ली गयी । वादीगण को राजस्व अभिलेख में किए जा रहे इन्द्राज की जानकारी शुरू से ही रही है । भू राजस्व संहिता के अंतर्गत यदि कोई त्रुटि बंदोबस्त के दौरान होती है तो उसके संबंध में राजस्व न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिये । व्यवहार न्यायालय को उसके संबंध में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा ना होने से प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा कब्जे की सहायता ना चाहे जाने से प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा-34 के अंतर्गत प्रचलनशील नहीं है । अतः वादीगण का वाद निरस्त किया जावे ।
8. प्रतिवादी क्र.-2 व 4 एक पक्षीय रहे हैं, उनकी ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है ।
9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना की और विचारण करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत गुणदोषों पर आलोच्य निर्णय पारित कर वादी/अपीलार्थीगण का वाद निरस्त किया, जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलार्थीगण ने उक्त अपील पेश की गई ।
10. वादी/प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील ज्ञापन में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ विद्वान न्यायालय ने वादप्रश्न क्रमांक- 1 व 2 के अनुसार वादीगण को वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी मान्य किया है एवं प्रति.क्र.-1 द्वारा दिनांक-15/4/1996 का विक्रयपत्र प्रभावहीन मान्य किया है । किन्तु अधीनस्थ विद्वान न्यायालय ने वादप्रश्न क्र.-4 लगायत-7 के संबंध में विवेचन गलत रूप से करते हुए गलत निष्कर्ष निकाले हैं । अधीनस्थ विद्वान न्यायालय ने दावा अवधि बाह्य मानकर निरस्त कर दिया है जो कि गलत रूप से किया है । वादीगण ने दावा अन्दर म्याद पेश किया है । इस तरह से वादप्रश्न क्रमांक-4 वादी के पक्ष में निर्णीत होना चाहिये ।

11. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर कब्जा प्रतिवादीगण का माना है, जो विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत है। क्योंकि प्रतिवादीगण के इन्द्राज को वादीगण ने चैलेन्ज किया है और उसके सुधार की कार्यवाही की है। अधीनस्थ विद्वान न्यायालय ने साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नहीं कर आलोच्य निर्णय पारित कर निषेधाज्ञा प्रचलित करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर काबिल निरस्ती योग्य होने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

12. उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

- 1- क्या अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है ?
- 2- क्या अपील स्वीकार की जाकर वादी/अपीलार्थीगण के हक में स्थाई निषेधाज्ञा एवं वादपत्र में वांछित सहायता प्रदान किए योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

13. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनर्वाच्य न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया। विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया।

14. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मूल वाद स्व. आशाराम के वारिसान जिसमें उसकी बेबा पत्नी सरमनोबाई एवं पुत्रगण बालाराम एवं रमेशचन्द्र की ओर से पेश किया गया था, जो कि स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं 15/4/1996 के मूल प्रतिवादी श्रीमती सुखाबाई द्वारा सूर्यनाथ सिंह को किए गये विक्रयपत्र को शून्य व प्रभावहीन घोषित किए जाने के संबंध में डिक्री चाही थी। विक्रयपत्र के संबंध में अभिवचन वादपत्र में संशोधन के माध्यम से जोड़े गये और सूर्यनाथ सिंह को पक्षकार बनाया गया था।

15. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थीगण का वाद अवधि बाहर मानते हुए एवं धारा-34 परंतुक विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा-1963 की बाधा के आधार पर अस्वीकार कर खारिज किया है, जिसे अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन मुताबिक इस आधार पर चुनौती दी है कि उनका वाद अवधि बाहर नहीं है। क्योंकि दिनांक-24/12/1991

के सुखाबाई के इन्द्राज के खसरा प्रदर्श पी.-9 की नकल लेने पर उसकी जानकारी हुई थी और इन्द्राज दुरुस्ती की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-1/93-94 अ-6 की गयी थी, जो कार्यवाही दिनांक-19/12/1994 को निरस्ती हुई, इसलिये उक्त अवधि अपवर्जित होगी और तदनुसार वाद जो दिनांक-20/10/1995 को पेश किया गया, अवधि भीतर था । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय कंडिका-32 में गलत निष्कर्ष निकालते हुए वाद निरस्त किया है, इसलिये उक्त निष्कर्ष को निरस्त किया जाकर वाद डिक्री किए जाने की प्रार्थना मौखिक रूप से भी की गयी है ।

16. अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-14 के प्रावधान के आधार पर वाद मियाद भीतर होने का तर्क किया है, हस्तगत प्रकरण की अपील में प्रत्यर्थीगण एक पक्षीय हैं, किन्तु परिसीमा संबंधी बिन्दु विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न होता है और उसे न्यायालय को स्वयं भी देखना होता है । परिसीमा के बिन्दु पर मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर वादी/अपीलार्थीगण ने दर्शित वादकारण के आधार पर और राजस्व न्यायालय में हुई कार्यवाही की समयावधि का अपवर्जन किए जाने की दशा में वाद मियाद भीतर बताया है ।
17. मूल वाद के अवलोकन से वादकारण कंडिका-8 मुताबिक 20/8/1995 को उस समय उत्पन्न होना बताया है, जबकि सुखाबाई के द्वारा विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी गयी । जिसके आधार पर प्रदर्श डी.-1 का धारा-80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया गया और तत्पश्चात् वाद पेश किया गया है, किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय कंडिका-29 से 32 में निकाले निष्कर्ष मुताबिक वादी/अपीलार्थीगण को राजस्व प्रलेख में किए गये इन्द्राज की जानकारी दिनांक-24/12/1991 से होना मानते हुए वादपत्र तीन वर्ष की मियाद के भीतर ना होने से अवधि बाहर माना है ।
18. जिस प्रकृति का वाद वादी/अपीलार्थीगण की ओर से पेश किया गया, जिसमें उन्होंने स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा के साथ साथ प्रदर्श पी.-14 के विक्रयपत्र को भी शून्य घोषित कराने की प्रार्थना चाही है। रजिस्ट्रीकृत लिखित को शून्य घोषित कराने के संबंध में परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसूची के अनुच्छेद-56 का प्रावधान आकर्षित होता है, जिसमें जब वादी को रजिस्ट्रीकृत लिखित की जानकारी हो जाये उससे तीन वर्ष की मियाद बतलायी गयी है तथा घोषणा संबंधी वाद के लिए जब वादी को वाद लाने का अधिकार प्रथम बार प्रोदभूत होता है, उससे तीन वर्ष के भीतर अनुच्छेद-58 के मुताबिक समयावधि उपबंधित की गयी है ।
19. जिसके संबंध में वादपत्र के संशोधन द्वारा जोड़े गये

अभिवचनों को देखा जाये तो प्रत्यर्थी, प्रतिवादी क्र.-3 के रूप में सूर्यनाथ सिंह क्रेता को आदेश दिनांक-28/1/1997 से संशोधन द्वारा पक्षकार के रूप में समाविष्ट किया गया है और वादपत्र की कड़िका-6 के पश्चात 6 अ के रूप में जोड़े गये संशोधन में यह स्पष्ट अभिवचन किया गया है कि सूर्यनाथ सिंह ने दिनांक-25/12/1996 को वादीगण को धौंस दी थी कि वे वादग्रस्त भूमि की फसल जबरन काटेंगे अर्थात् वादीगण को प्रदर्श पी.-14 के बयनामा की जानकारी दिनांक-25/12/1996 को होना बतायी गयी है, चूंकि मूल वाद बयनामा के पूर्व ही दिनांक-20/10/1995 को पेश कर दिया गया था, इसलिये उसके संबंध में तो वाद समयावधि के भीतर होना पाया जाता है किन्तु जहां तक स्वत्व घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा के लिए बतलाया गया वादकारण दिनांक-20/8/1995 के प्रमाण का भार वादीगण पर ही है ।

20. इस संबंध में अभिलेख पर जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी है, उसमें स्वयं वादी द्वारा प्रदर्श पी.-5 के रूप में जो सी-नंबरिंग सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गयी है, उससे यह स्पष्ट होता है कि पुराना सर्वे क्रमांक-483 का नया नंबर 212 बना था, जिसकी भूमि विवादित है, उससे संबंधित प्रदर्श पी.-7 का खसरा पांचशाला जो संवत् 2026 लगायत 2028 अर्थात् 1969 से 1971 का है, जिसमें सर्वे क्रमांक-212 की भूमि चरनोई के रूप में इन्द्राजित है और उक्त खसरा की नकल दिनांक-24/12/1991 को प्राप्त की गयी है, जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विवादित भूमि चरनोई भूमि घोषित होने की जानकारी कम से कम दिनांक-24/12/1991 को वादी/अपीलार्थीगण को हो गयी थी, यह उपधारित होगा । प्रदर्श पी.-09 का खसरा जो संवत् 2034 से 2038 का है, जिसमें उक्त भूमि सुखाबाई के नाम पटटे के रूप में इन्द्राजित हुई, जिसे शासकीय पटटा मिलना बताया है और उक्त प्रदर्श पी.0-9 में पटटा संबंधी प्रकरण क्रमांक-2/1997-78 X अ-19 आदेश दिनांक 23/5/1979 का स्पष्ट उल्लेख है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक-24/12/1991 को प्राप्त की गयी है, उससे भी सुखाबाई के इन्द्राज की जानकारी होना उपधारित होगी । क्योंकि उसके विरुद्ध कोई खण्डन साक्ष्य इस आशय की पेश नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि वादी/अपीलार्थीगण को इन्द्राज की जानकारी दी गयी धमकी के पूर्व नहीं हुई ।

21. ऐसे में प्रथम बार अधिकार प्रोदभूत दिनांक-24/12/1991 को होना परिलक्षित होता है और वाद जो दिनांक-20/10/1995 को पेश किया गया है अर्थात् तीन वर्ष की मियाद के बाहर है । अब प्रकरण में इस बिन्दु पर विचार होना है कि “ क्या प्रकरण में परिसीमा अधिनियम की धारा-14 वादी/अपीलार्थीगण को आकर्षित होती है और क्या उसके तहत राजस्व न्यायालय में व्यतीत समय अपवर्जित होगा ?”

22. इस संबंध में वादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने

अपने तर्कों में यह व्यक्त किया है कि राजस्व न्यायालय उक्त प्रावधान की परिधि के अंतर्गत आने वाला न्यायालय माना जाता है । इस संबंध में उन्होंने परिसीमा अधिनियम के डाइजेस्ट की छायाप्रति पेश की है । उसमें उल्लेखित न्याय दृष्टांत पेश नहीं किए हैं, किन्तु यह सुस्थापित विधि है कि राजस्व न्यायालय की प्रास्थिति न्यायालय के रूप में ही की जाती है । धारा-14 परिसीमा अधिनियम 1963 के उपबंध मुताबिक-

बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही में लगे समय का अपवर्जन --

1. किसी वाद की परिसीमा काल की संगणना में उतना समय, जिते समय के दौरान वादी चाहे प्रथम बार के, चाहे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक् तत्परता के अभियोजित करता रहा है, अपवर्जित कर दिया जाएगा जहाँ कि वह कार्यवाही उसी विवाद विषय से संबंधित हो और सद्भावपूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गई हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतुक से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो ।
2. किसी आवेदनपत्र के परिसीमा काल की संगणना में उतना समय, जिते के दौरान वादी चाहे प्रथम बार के अपील चाहे पुनरीक्षण न्यायालय में उसी पक्षकार के विरुद्ध उसी अनुतोष के लिए अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक् तत्परता से अभियोजित करता रहा है, अपवर्जित कर दिया जाएगा जहाँ कि कार्यवाही सद्भावपूर्वक किसी ऐसे न्यायालय में अभियोजित की गयी हो जो अधिकारिता की त्रुटि या वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतुक से ग्रहण करने में असमर्थ हो ।
3. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 {1908 का 5} के आदेश 23 के नियम 2 के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा 01 के उपबंध उस आदेश के नियम 1 के अधीन न्यायालय द्वारा दी गयी अनुज्ञा के आधार पर संस्थित नए वाद के संबंध में लागू होंगे, जहाँ कि ऐसी अनुज्ञा के आधार पर दी गयी अधिकारिता में त्रुटियाँ वैसी ही प्रकृति के अन्य हेतुक से पहले वाद का असफल होना अवश्यम्भावी है ।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजन के लिए -

- (क) उस समय का अपवर्जन करने में, जिसके दौरान कोई पूर्ववर्ती सिविल कार्यवाही लंबित थी वह दिन, जिस दिन वह कार्यवाही संस्थित की गयी और वह दिन, जिस दिन उसका अंत हुआ, दोनों गिने जाएंगे ;
- (ख) कोई वादी या आवेदक, जो किसी अपील का प्रतिरोध कर रहा हो, कार्यवाही का अभियोजन करता हुआ समझा जाएगा ;
- (ग) पक्षकारों के या वाद-हेतुकों के कुसंयोजन को अधिकारिता में त्रुटि जैसी प्रकृति का हेतुक समझा जाएगा ।

23. उक्त प्रावधान मुताबिक बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का लगा समय अपवर्जित होता है । किन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रश्न यह है कि क्या राजस्व न्यायालय में

वादी/अपीलार्थीगण के द्वारा कोई सदभावनापूर्ण कार्यवाही की गयी और उसमें कितना समय लगा ? इस संबंध में अभिलेख पर वादी/अपीलार्थीगण की ओर से जिस राजस्व प्रकरण का हवाला दिया जा रहा है, उससे संबंधित कोई भी दस्तोवज साक्ष्य में पेश नहीं किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से अवश्य प्रदर्श डी-3 के रूप में न्यायालय तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक-01/93-94 अ-6 अ की आदेशपत्रिका दिनांक-19/12/1994 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गयी है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बालाराम व रमेश की ओर से पेश किया गया आवेदनपत्र उनके अनुपस्थित हो जाने से अदम पैरवी में खारिज हुआ था। किन्तु वह आवेदनपत्र कब पेश किया गया, इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

24. वादी बालाराम वा.सा.-1 और उसके साक्षी दयानंद वा.सा.-2 ने इस संबंध में अपनी अभिसाक्ष्य में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। वादपत्र की कंडिका-5 में अवश्य इस बात का उल्लेख किया है कि भूल को दुरुस्त कराये जाने हेतु वादीगण ने दिनांक-2/5/1992 को एस. डी.ओ. गोहद में आवेदनपत्र पेश किया था, जिसमें नायब तहसीलदार को तत्काल जांच कर नंबर दुरुस्त करने का आदेश दिया गया था। किन्तु उसके बावजूद भी भूल सुधान नहीं की, तब वादीगण ने दिनांक-27/4/1993 को अपने खाते की नकल प्राप्त की थी इससे भी यह परिलक्षित होता है कि एस.डी.ओ. को आवेदनपत्र देने के पहले से वादीगण को सुखाबाई के इन्द्राज की जानकारी रही, इन्द्राज दुरुस्ती संबंधी कार्यवाही के दस्तावेज पेश ना करने से वादी/अपीलार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा भी निर्मित होगी कि अवश्य ही वे दस्तावेज नहीं रहे होंगे, अन्यथा उन्हें वादीगण पेश करते।

25. ऐसे में परिसीमा अधिनियम की धारा-14 के अंतर्गत जिस समयावधि के अपवर्जन किए जाने की प्रार्थना की जा रही है। उसके संबंध में कोई ना तो स्पष्ट अभिवचन है, ना ही साक्ष्य है और ना ही यह परिलक्षित होता है कि वादीगण ने बिना क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में सदभावनापूर्वक रूप से कोई कार्यवाही की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा-14 परिसीमा अधिनियम के संबंध में न्याय दृष्टांत **शक्ति ट्यूब्स लिमिटेड विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार (2009) बॉल्यूम-01 एस.सी.सी. पेज-786** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था यदि उसमें सदभाविक कार्यवाही की गयी तो उसका समय अपवर्जित किया जा सकता है तथा साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि रही हो और उसके आधार पर कार्यवाही या वाद प्रस्तुत नहीं किया गया हो जिससे मूल अभिप्राय विषय से संबंधित कोई वाद विषय होना अपेक्षित है, जो हस्तगत प्रकरण में प्रकट नहीं होती है और उक्त प्रावधान इसलिये भी हस्तगत प्रकरण में वादीगण/अपीलार्थीगण को लाभकारी नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा की गयी सम्यक् रूपेण कार्यवाही की

समयावधि स्पष्ट नहीं की गयी है, जिसे वे अपर्जित कराना चाहते हैं ।

26. यहां यह भी उल्लेखीय है कि परिसीमा अधिनियम की धारा-09 के मुताबिक जहां कि एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाये वहां वाद संस्थित करने या आवेदनपत्र करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह नहीं रुकता । अर्थात् जहां एक बार परिसीमा प्रारंभ हो जाये वहां परिसीमा निरंतर चलती है । हस्तगत प्रकरण में जानकारी के प्रथम बार दिनांक-24/12/1991 को प्रोद्भूत हो जाने से परिसीमा काल निरंतर जारी रहेगा, उस दृष्टि से मूल वाद समयावधि के बाहर है इसलिये वादी/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **प्रताप सिंह गनपत राव कदम विरुद्ध मूर्ति रघुनाथ तोड़कर द्वारा वारिसान एस.आई.आर. 2003 बॉम्बे पेज-11** से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है जिसमें मूल वाद बेदखली के विरुद्ध लाया गया था और हस्तगत प्रकरण में तो वादी/अपीलार्थीगण अपना आधिपत्य बताकर आये हैं और न्याय दृष्टांत के मामले में धारा-145 द.प्र.सं. के अंतर्गत चली कार्यवाही की मियाद प्रश्नगत थी । जिसकी प्रकृति हस्तगत मामले से भिन्न हो जाती है । इसके अलावा अन्य प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **रामचन्द्र नायक विरुद्ध लिंगारामचन्द्ररिहा द्वारा वारिसान ए.आई.आर. 1971 आंध्रप्रदेश पेज-395 पेश किया है**, जो कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 120 से संबंधित है और हस्तगत प्रकरण में धारा-14 पर बल दिया है, इसलिये उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है ।

27. ऐसे में समयावधि अपवर्जन की अपील में की गयी प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद को अवधि बाहर मानने में कोई विधि त्रुटि नहीं की गयी है ।

28. मूल वाद धारा-34 के परंतुक विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के आधार पर भी खारिज किया है, वादपत्र के अभिवचनों के मुताबिक वादीगण स्वयं का आधिपत्य बताकर आये थे, जबकि प्रतिवादीगण ने उनके आधिपत्य से इंकार किया था और उसी अनुरूप मौखिक साक्ष्य में भी बताया गया है । मौखिक साक्ष्य मुताबिक चकबंदी 1971-72 की वा0सा0-1 बताता है । प्रदर्श पी.-07 मुताबिक भूमि चरनोई थी और उसपर किसीका कब्जा अंकित नहीं हुआ । प्रदर्श पी.-9 मुताबिक सुखाबाई का पट्टा दिनांक-23/5/1979 को हो गया और प्रदर्श पी.-10 मुताबिक सुखाबाई के गेहूं की फसल का उल्लेख 1989-90 में है ।

29. प्रदर्श पी.-11 मुताबिक भी सुखाबाई की फसल का उल्लेख संवत् 2049-50 के खसरे में भी है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दावा प्रस्तुति दिनांक-20/10/1995 को विवादित भूमि पर वादी/अपीलार्थीगण का आधिपत्य नहीं था, ना उनकी कोई फसल थी

और ऐसा कोई ठोस प्रमाण भी उन्होंने पेश नहीं किया, जिससे उनका वाद प्रस्तुति दिनांक को विवादित भूमि के वास्तविक आधिपत्य में होना दर्शित होता है। बल्कि प्रदर्श पी.-10 और 11 के प्रस्तुत दस्तोवज स्वयं वादीगण ने पेश किए और उनका कोई खण्डन ना होने से वादी का आधिपत्य में ना होना माना जावेगा और मूल वाद में कब्जा वापिसी की कोई सहायता नहीं चाहीं गयी है। ऐसे में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा-34 का परंतु लागू होगा। जिससे यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहां घोषणात्मक स्वरूप के वाद में अन्य सहायता मांगी जाना आवश्यक हो और वह नहीं मांगी जाती है तो वाद डिक्री नहीं होगा।

30. ऐसे में उक्त प्रावधान की बाधा हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मानने में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और वादीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस न्याय दृष्टांत **दरवारी विरुद्ध सूआ 2004 भाग-2 एम.पी.एच.टी.- पेज-111** पर बल दिया गया है कि स्वत्व घोषणा का वाद बिना अन्य अनुतोष के प्रस्तुत किया जा सकता है, वह उत्पन्न परिस्थितियों में प्रभावशील नहीं हो सकता है। क्योंकि वादीगण का आधिपत्य में होना नहीं पाया गया है और आधिपत्य की सहायता भी नहीं चाही है तथा शासकीय पट्टे के तहत सुखाबाई को आधिपत्य मिलना उपधारित होगा, जिसके द्वारा केता सूर्यनाथ सिंह को प्रदर्श पी.-14 मुताबिक कब्जा दिया गया था।

31. ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादप्रश्न क्रमांक-04, 05 एवं 07 को 'अप्रमाणित' मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और अपीलार्थी/वादीगण की अपील एक पक्षीय रूप से विधि के स्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील सारहीन मानते हुए आलोच्य निर्णय व डिक्री की पुष्टि कर निरस्त की जाती है।

32. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वादी/अपीलार्थी अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम जो जोड़ जावे।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड